

सुप्रीम कोर्ट के इतहास में सबसे प्रभावशाली नरिणय

चर्चा में क्यों?

भारत के सुप्रीम कोर्ट का नरिणय आम कानून व्यवस्था में न्याय देने के लिये आधार का कार्य करने के साथ ही, एक उदाहरण स्थापति करने का भी कार्य करता है। इसी संदर्भ में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दलिली के लेफ्टनैंट गवर्नर के मामले और धारा 377 पर दिये गए फैसले को नसिंसंदेह इतहास में ऐतहासिक नरिणय के रूप में गना जाएगा और यह भवषिय के कई मामलों को प्रभावति भी करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख प्रगतशील नरिणय

- मेनका गांधी मामले ने 1970 के दशक के अंत में कानूनी न्यायशास्त्र में बदलाव का जकिर कया, जसिमें सुप्रीम कोर्ट ने अधिक सक्रिय भूमिका नभई और आपातकाल के बाद अपनी वैधता पर ज़ोर देने की कोशशि की।

मेनका गांधी बनाम संघ 1978

- वर्ष 1977 में मेनका गांधी (वर्तमान महिला और बाल विकास मंत्री) का पासपोर्ट वर्तमान सत्तारूढ़ जनता पार्टी सरकार द्वारा जब्त कर लया गया था।
- इसके जवाब में उन्होंने सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिये सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की।
- हालाँकि, कोर्ट ने इस मामले में सरकार का पक्ष न लेते हुए एक अहम फैसला सुनाया।
- यह नरिणय सात न्यायाधीशीय खंडपीठ द्वारा कया गया, जसिमें इस खंडपीठ द्वारा संवधान के अनुच्छेद 21 में नहिति व्यक्तगित स्वतंत्रता के अधिकार को दोहराया गया, जसिसे यह फैसला मौलिक अधिकारों से संबंधति मामलों के लिये एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण बना।

केशवानंद भारती मामला 1973

- वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी संवधान पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दया था कि भारत में संसद नहीं बलक संवधान सर्वोच्च है।
- साथ ही, न्यायपालिका ने टकराव की स्थति को खत्म करने के लिये संवधान के मौलिक ढाँचे के सदिधांत को भी पारति कर दया। इसमें कहा गया कि संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जो संवधान के मौलिक ढाँचे को प्रतकूल ढंग से प्रभावति करता हो।
- न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के तहत न्यायपालिका संसद द्वारा कये गए संशोधन की जाँच संवधान के मूल ढाँचे के आलोक में करने के लिये स्वतंत्र है।
- इसी तरह, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने संसद को अपनी 'मूल संरचना' को बदलने से रोका, जो भारतीय राज्य को अपने कई दक्षणि एशायी समकक्षों (चाहे अधन्यायकवादी शासन हो या अन्य अतरिकित संवधानिक माध्यमों से) के समान गरिने से बचाने के लिये व्यापक रूप से जाना जाता है।
- भारतीय संवधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट एक अभलिखीय अदालत होगी और इस तरह की अदालत को सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जसिमें स्वयं की अवमानना के लिये दंडति करने की शक्ति भी शामिल है।
- अभलिख न्यायालय से आशय उस उच्च न्यायालय से है, जसिके 'नरिणय' सदा के लिये लेखबद्ध होते हैं और जसिके अभलिखों का प्रमाणति मूल्य होता है।
- उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालयों और नचिली अदालतों में प्रक्रयात्मक मुद्दों से नपिटने के लिये सुप्रीम कोर्ट द्वारा नरिधारति उदाहरण महत्त्वपूर्ण हैं।

